

## अनुज्ञा पत्र

पत्रांक: 01 / जि0प0गौ0बु0न0 / मानचित्र / 2024

दिनांक : 22/06 / 2024

श्री / मै0 यूनिवैस्ट इन्फाटेक प्रा0 लि0 ,ग्राम मिर्जापुर तहसील सदर व विकास खण्ड जेवर, जिला गौतमबुद्धनगर

नि0 कार्यालय 06<sup>th</sup> floor कसाना टॉवर अल्फा -1 ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर

द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुबोध कुमार पुत्र श्री चाहतराम

निवासी मकान न0-बी-19 ,विधि विहार सोसायटी (एडवोकेट कालोनी)

विषय- मै0 मै0 यूनिवैस्ट इन्फाटेक प्रा0 लि0 रजि0 कार्यालय 06<sup>th</sup> floor कसाना टॉवर अल्फा -1 ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर ।  
द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुबोध कुमार पुत्र श्री चाहतराम ,निवासी मकान न0-बी-19 ,विधि विहार सोसायटी (एडवोकेट  
कालोनी) द्वारा ग्राम मिर्जापुर तहसील सदर व विकास खण्ड जेवर जिला गौतमबुद्धनगर के खसरा स0 113 मि0 रकबा 1.0000 मे  
से 2000.00 वर्गमी है, क्षेत्रफल की कृषक /अकृषक भूमि पर मानचित्र में प्रदर्शित संरचना के अनुसार मै0 यूनिवैस्ट  
हब,दुकान/स्टूडियों के नाम से ग्राम मिर्जापुर के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश सरकार की गजट 6 अगस्त 2015 भाग (3) खण्ड (घ) संख्या 391/23-07/2014-16 उ0प्र0.  
क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 239 की उपधारा (2) के संदर्भ में जिला  
पंचायत गौतमबुद्धनगर द्वारा भवन प्रख्यापित नियमावली के अनुसार निम्न शर्तों पर आपके द्वारा उपरोक्त विषयक प्रस्तुत  
अभिलेखों व साक्ष्यों के अनुसार प्रस्तुत मानचित्र /निर्माण /एन0ओ0सी0 एवं अन्य अभिलेख निर्माण हेतु यथा प्रेषित  
किये गये हैं,जिनके आधार पर कार्यालय निदेशक पंचायतीराज उत्तर प्रदेश संख्या  
-4/896/2020-4/83(गौतमबुद्धनगर)/2014 लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर 2020 की अधिसूचना यथा संशोधित  
-4/896/2020-4/83(गौतमबुद्धनगर)/2014 लखनऊ, दिनांक 10 दिसम्बर 2020 में उल्लेखित जनपद गौतमबुद्धनगर  
की ग्राम पंचायतों की स्थिति अनुसार निम्नवत् शर्तों के अधीन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया गया है।


- स्वीकृत नक्शे /एन0ओ0सी0 के अतिरिक्त कोई निर्माण कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
- किसी विकास कार्य के लिए जिला पंचायत कोई व्यय नहीं करेगी एवं परिवर्तन की दशा में पुनः आवेदन करना होगा ।
- जिला पंचायत के सक्षम अधिकारी को अनुज्ञा पत्र के निर्गत होने के उपरान्त साइट निरीक्षण का अधिकार हासिल रहेगा ।
- भवन मानचित्र /एन0ओ0सी0 जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, उसी प्रयोग में लाया जायेगा ।
- यदि भविष्य में विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के आवेदक पर देय होगा ।
- विजली की लाइन से 05 फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जाये एवं निर्माण कार्य में इंडियन इलैक्ट्रीसिटी-नियमों का पालन किया जायेगा ।
- अग्निशमन विभाग से निर्माण हेतु अनापत्ति पत्र प्राप्त करना होगा ।
- जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत ग्राम्य क्षेत्र में स्थिति प्रत्येक नगर पंचायत,नगर पालिका परिषद ,छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जो किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस आई डी सी के द्वारा अधिग्रहित किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्व विवरण सहित यथा ग्राम का नाम ,गाटा /खसरा संख्या ,अधिग्रहित क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो आदि क्षेत्र को छोड़कर ही भवन निर्माण /एन0ओ0सी0 की स्वीकृति दे सकती है। यदि जिला पंचायत के अलावा किसी अन्य क्षेत्र या किराी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व प्रश्नगत भवन पाया जाता है तो मानचित्र /एन0ओ0सी0 स्वतः निरस्त माना जायेगी ।
- सम्पूर्ण निर्माण कार्य भारतीय मानक ब्यूरो भारतीय मानक संस्थान ,लोक निर्माण विभाग तथा भवन निर्माण से सम्बन्धित राज्य व केन्द्र स्तरीय अनुसंधात संस्थानों द्वारा निर्गत किये गये अद्यतन मानकों के अनुसार कराया जायेगा। निर्मित भवन अथवा उसका कोई भी अंश निर्माण काल में अथवा उसके पश्चात उपरोक्त दिशा निर्देशों के मानकों के अनुसार न पाये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी इसके लिए किराी भी अन्य पत्राचार अथवा कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी।
- निर्माण पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजिनियर द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा। आवेदनकर्ता के लिए वाध्यकारी होगा कि वह स्ट्रक्चरल इंजिनियर से निर्माण के विभिन्न महत्त्वपूर्ण स्तरों जैसे कुरसी स्तर प्रत्येक तल की छत एवं इसी प्रकार समस्त स्तरों पर स्थलीय निरीक्षण कराकर निर्माण मानकों के अनुसार संतोपजनक होने का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा । यह वाध्यता वास्तुविद द्वारा भी समस्त महत्त्वपूर्ण स्तरों हेतु प्रभावी होगी अन्यथा की स्थिति में यह स्वीकृति समाप्त हो जायेगी इसके लिए किराी भी अन्य पत्राचार अथवा कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी।
- स्वीकृत मानचित्र सीमा अन्तर्गत स्वीकृत भू-भाग पर ही यह अनुज्ञा पत्र तथा मानचित्र की स्वीकृति प्रभावी होगी। भू- स्वामी की अन्य कोई भी भूमि चाहे वह इस पर मानचित्र से कितनी भी समीप अथवा दूरी पर क्यों न हो यह




स्वीकृति किसी भी स्थिति में लागू नहीं होगी। स्वीकृत क्षेत्र के अतिरिक्त कही भी इस स्वीकृति का दुरुपयोग उक्त स्थिति में स्वीकृत क्षेत्र में भी यह स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी। इसके लिए किसी भी अन्य पत्राचार अथवा कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी।

12. किसी भी अन्य सक्षम स्तर पर अथवा मा० न्यायालय द्वारा यदि इस भू-भाग अथवा स्वीकृत किये जा रहे मानचित्र एवं अनुज्ञा पत्र के विपरीत कोई निर्णय पूर्व में निर्गत किया जा चुका है अथवा निर्माण अवधि में निर्गत किया जाता है या निर्माण पूर्ण होने के पश्चात निर्गत किया जाता है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व भू-स्वामी एवं निर्माणकर्ता हेतु होगी एवं यह स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। इसके लिये किसी भी अन्य पत्राचार अथवा कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी। भू-स्वामी एवं निर्माणकर्ता के लिए यह बाध्यकारी होगा कि इस प्रकार के किसी भी निर्णय को तत्काल जिला पंचायत के संज्ञान में लाया जायें।
13. भू-स्वामी एवं निर्माणकर्ता हेतु यह बाध्यकारी होगा कि वह वास्तुविद तथा स्ट्रक्चरल इंजिनियर से भूकम्प रोधी मानचित्र डिजाइन करायें एवं तदानुसार ही प्रदत्त विशिष्टियों के अनुसार सामग्री का उपयोग एवं निर्माण करायें। अन्यथा यह स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। इसके लिए किसी भी अन्य पत्राचार अथवा कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी।
14. निर्माण करते समय आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों में दर्शाये गये विवरणों के अतिरिक्त अन्य जरूरी विवर्द्धन उपनियम ( जिला पंचायत) के अनुसार कराया जायेगा।
15. मानचित्र स्वीकृत किये जाने के उपरान्त कार्य को तीन वर्ष में पूर्ण कराना आवश्यक होगा। यदि कार्य तीन वर्ष में पूर्ण नहीं किया जा सकेगा तो उक्त कार्य की स्वीकृति 02 वर्ष की समय वृद्धि विलम्ब शुल्क के साथ प्रदान की जा सकेगी। यदि 05 वर्ष की अवधि के उपरान्त कार्य पूर्ण नहीं हो सकेगा तो मानचित्र निरस्त समझा जायेगा।
16. कार्य आवेदन अवरुद्ध किये बिना पूर्ण किया जायेगा।
17. कार्य पूर्ण होने पर जिला पंचायत विभाग से एक माह के अन्दर पूर्णता का प्रमाण पत्र जारी करने का प्रतिवेदन देना होगा।
18. भू-उपयोग के सम्बन्ध में भूमि के अकृषित व आबादी दर्ज कराने की स्वीकृति राजस्व विभाग से नियमानुसार प्राप्त कराने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी व अन्य विभागों से अदेय एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यकता पडने पर लेने की भी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
19. कार्य आरम्भ करने के पूर्व रेन वाटर हार्वेसटिंग तथा सीवरेज प्लान तथा ड्रेनेज प्लान प्रस्तुत करना होगा।
20. दरवाजे व खिडकियां इस तरह से लगायें जायें कि वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सडक की ओर बढाव (प्रोजेक्ट) न हो।
21. स्वीकृत मानचित्र / एन०ओ०सी० का एक सेट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मोके पर कभी जाँच की जा सके।
22. स्वीकृत मानचित्र / एन०ओ०सी० इस पत्र के साथ संलग्न है भवन कार्य की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दे तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र के लिए भवन को प्रयोग में न लायें।
23. सीलिंग / भू-अर्जन / नजूल / ग्राम समाज सहित भू-स्वामित्व मामलों में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं होगी ताकि स्वीकृत मानचित्र / एन०ओ० सी स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
24. श्रम विभाग में लागत का एक प्रतिशत लेबर सेंस जमा किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का स्वयं का होगा।
25. अनुज्ञा पत्र जारी होने के उपरान्त (जैसा कि ई-स्टाम्प में आवेदन द्वारा घोषण की गयी) यदि प्रस्तुत अभिलेख असत्य / असंगत पाया जाता है अथवा गलत विवरण दिया गया है या प्रस्तावित भवन उपयोग अनुमान्य भू-उपयोग से भिन्न है तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी एन०ओ० सी की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है एवं किया गया निर्माण ध्वस्त अथवा सील किया जा सकता है तथा निर्माण किया गया कार्य बिना अनुमति के माना जायेगा तथा आवेदन की कीमत पर तुडवाया जा सकता है।
26. यदि किसी अधिनियम के अन्तर्गत लागू मास्टर प्लान में भू-उपयोग की आवश्यकता पडने पर सम्बन्धित अधिनियम के प्राविधानों का पालन करते हुए भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार मानचित्र दो प्रतियों में

  
अभियन्ता  
जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर



  
अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर  
अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर